**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 107**

**सोमवार, 30 नवंबर, 2015/9 अग्रहायण, 1937 (शक)**

**सड़क सुरक्षा हेतु अधिकार-प्राप्त अभिकरण**

107. श्री हुसैन दलवई:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र अधिकार-प्राप्त अभिकरण गठित किया है अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, उक्त अभिकरण की वर्तमान स्थिति तथा इसकी संरचना, नियुक्ति और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)**

**(क) से (ग)** मंत्रालय ने नये सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक (आरटीएसबी) का प्रारूप तैयार किया है जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ, मोटर वाहन संबंधी मुद्दों को विनियमित करने और भारतीय सड़कों पर सुरक्षा में सुधार लाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहायतार्थ अनिवार्य विशेषज्ञता और संसाधनों से पूर्ण राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा यातायात प्रबंधन अभिकरण (एनआरएसटीएमए) के सृजन की परिकल्‍पना है । विधेयक का प्रारूप मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् [www.morth.nic.in](http://www.morth.nic.in) पर उपलब्‍ध है ।

\*\*\*\*\*